रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 155] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 5, 1971/आश्विन 13, 1893
No. 155] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 5, 1971/ASVINA 13, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 5th October 1971

SUBJECT.—*Procedure for making rupee deposits to Government Account by means of demand drafts in respect of imports financed under the Direct Payment Procedure as applicable to various loans/credits*

No. 132-ITC(PN)/71.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Publice Notice No. 233-ITC(PN)/68 dated the 24th October, 1968 on the above subject According to the procedure laid down therein, the importers/importers' bankers are to arrange for the deposits of rupee equivalents of foreign exchange payments made to the suppliers into Government account by means of demand drafts drawn on and made payable to State Bank of India, Tis Hazari Delhi-6 or by cash deposits into Reserve Bank of India, New Delhi duly accompanied by the challans which are to be filled up in the manner indicated in the copy of challan enclosed with the above said Public Notice. It has, however, been observed that the challans are not being filled up correctly with the result that the amounts deposited could not be linked up promptly or properly thereby causing delay in the release of bank guarantees furnished by the importers on the adjustment of the deposits in Government accounts.

2. In order that the essential particulars required by the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) are invariably furnished in the challans, it is once again brought to the notice of all concerned that the following information (as applicable) should be furnished in the copy of challans against the column "Full particulars of remittance and authority (if any)":—

(1) Ministry of Finance Letter of Authority No. /PA No. /LCR Nos.

(2) Amount in foreign currency in respect of which rupee deposits are being made together with the composite rate of conversion and the rupee amount.

(3) Date of payment to the foreign suppliers.

(4) Interest amount for the period from (date of payment to the foreign supplier) to (the date of deposit).

(5) Total amount deposited.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर 1971

विषय:—सीधे भुगतान क्रिया विधि जोकि विभिन्न ऋण / साख के लिए लागू है उस के अन्तर्गत अर्थयुक्त आयात के सम्बन्ध में सरकार के खाते में डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा रुपया निक्षेप करने के लिए क्रियाविधि ।

संख्या 132 आई० टी० सी० (पी० एन०)/71 .—उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना संख्या : 233–आई टी सी (पीएन)/68 दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है । उसमें निर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार, आयातकों / आयातकों के बैंकर्स को संभरकों को विदेशी मुद्रा विनियम में किए गए भुगतान के समतुल्य रुपये को सरकार के खाते में स्टेट बैंक आफ इंडिया , तीस हजारी, नई दिल्ली के लिए डिमान्ड ड्राफ्ट जो उसे अदा किए जाने हैं उसके द्वारा निक्षेप करने की या रिजर्व बैंक आफ इन्डिया, नई दिल्ली में चलानों द्वारा जो उक्त सार्वजनिक सूचना में संलग्न चालान की प्रति में संकेतिक अनुसार भरे होने चाहिए, नकद निक्षेप करने के लिए व्यवस्था करनी है । चुनांचे यह देखा गया है कि चालन ठीक तरीके से नहीं भरें जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरुप निक्षेप की गई धनराशि शीघ्र और ठीक रुप से संयोजित नहीं की जा सकती और इसी की वजह से सरकार के खाते निक्षेप के संभजन के लिए आयातकों द्वारा दी गई बैंक गारन्टी की रिहाई में विलम्ब होता है ।

2 वित्त मंत्रालय (अर्नाधिक कार्य विभाग) द्वारा अपेक्षित आवश्यक ब्यौरे चलानों में हमेशा ठीक तरह से भरे जाएं सभी सम्बद्धों के ध्यान में एक बार और इस बात को लाया जाता है कि चालान प्रति के कालम "प्रैषण और प्राधिकारी के पूर्ण ब्यौरे (यदि हों)," के विपरित निम्नलिखित सूचना (जो लागू हो) अवश्य दी जानी चाहिए :—

(1) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या / पीए संख्या / एल सी आर संख्याएं,

(2) किए जाने वाले रुपये निक्षेप के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा में धनराशि और इसके साथ परिवर्तन की मिली जुली और रुपया धनराशि

(3) विदेशी संभरकों को भुगतान की तारीख

(4) (संभरकों को विदेशी मुद्रा में भुगतान की तारीख) से (रुपये निक्षेप की तारीख तक) की अवधि के लिए सूद राशि

(5) निक्षेप की गई कुल धन राशि

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971